

खाद्य सुरक्षा आवेदन जांच प्रतिवेदन

आवेदक विवरण:

1. आवेदक का नाम:
2. पिता/पति का नाम:
3. पता:
4. राशन कार्ड संख्या:
5. आवेदन संख्या:
6. पात्रता श्रेणी (आवेदित):

जांच प्रक्रिया चेकलिस्ट:

7. क्या आवेदित श्रेणी के लिए आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं?हां / नहीं
8. क्या आवेदक ने सही पात्रता श्रेणी में आवेदन किया है?हां / नहीं
9. क्या दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं?हां / नहीं
10. क्या आवेदक ने खाद्य सुरक्षा अपात्रता श्रेणी में न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है?हां / नहीं
11. क्या फील्ड जांच में आवेदक पर कोई निष्कासन मानदंड लागू होता है? यदि हाँ तो नीचे दी गयी निष्कासन सूची से श्रेणी को लिख कर दर्ज करें –

.....

नोट- जांच कमेटी फील्ड जांच के बाद आवेदक के परिवार का रहन-सहन को देख कर यह निर्णय कर सकती है कि परिवार स्पष्ट रूप से आर्थिक रूप से सक्षम है और खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़े जाने के लिए अपात्र है। जिसे परिवार के सभी सदस्यों की कुल सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक होने की श्रेणी में रखा जा सकता है।

आय श्रेणी		कृषक भूमि स्वामित्व श्रेणी	
1	A. परिवार में आयकर दाता सदस्य होने पर;	4	D. परिवार के सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। • एकल खाता: परिवार के सभी सदस्यों का एकल खाता होने पर राशनकार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों द्वारा धारित भूमि को जोड़कर गणना की जायेगी। • संयुक्त खाता: यदि भूमि संयुक्त खातेदारी में है, तो ऐसी स्थिति में परिवार के उन सदस्यों का नोशनल शेयर जोड़ा जाएगा, जिनका नाम जमाबन्दी में अंकित है।
2	B. परिवार में सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्था में नियमित नौकरी हो या एक लाख रु. वार्षिक से अधिक पेंशन धारक हो;		
5	E. परिवार के सभी सदस्यों की कुल सालाना आय एक लाख रुपये से अधिक हो।		
वाहन संपत्ति स्वामित्व श्रेणी			
3	C. चार पहिया वाहन धारक /स्वामी हो; • शहरी क्षेत्र में जीविकोपार्जन के लिए एक कॉमर्शियल वाहन धारी के लिए छूट है; और • ग्रामीण क्षेत्र में एक कॉमर्शियल वाहन और ट्रैक्टर धारक परिवार को छूट है।		
		पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसर श्रेणी (कच्ची बस्ती छोड़ कर)	
		6	F. ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक निर्मित क्षेत्रफल स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।
		7	G. नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर)
		8	H. नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय/व्यवसायिक परिसरधारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर)

12. खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने या नहीं जोड़ने की स्पष्ट सिफारिश करें।

.....

दिनांक:.....

बूथ लेवल अधिकारी
हस्ताक्षर मय सील
नाम

ग्राम विकास अधिकारी
हस्ताक्षर मय सील
नाम
मोबाइल.....

हल्का पटवारी
हस्ताक्षर मय सील
नाम
मोबाइल.....